



2026:AHC:37194

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6005/2026

गोल्डी कुमार आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : संजय श्रीवास्तव

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचक ने आरोप लगाया है कि दि० 17.10.2025 की रात्रि लगभग 10:30 बजे आवेदक उसकी पुत्री को उसका जन्मदिन मनाने के उद्देश्य से होटल सुभारती ले गया, जहाँ उसने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाया जिसके कारण वह बेहोश हो गई, तत्पश्चात् उसने उसका बलात्कार कर दिया तथा जब उसकी पुत्री ने विरोध किया तो उसने उसे उक्त घटना का वीडियो वायरल करने की धमकी दी जो उसने बना लिया था। पीड़िता के अनुसार उसकी आयु 21 वर्ष है। चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य या

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आन्तरिक चोट अंकित नहीं हुई तथा उसकी हाइमेन पुरानी विदीर्ण एवं ठीक हुई पाई गई। आगे यह भी कहा गया कि यद्यपि पीड़िता ने अपने बयानों में अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन किया है, किन्तु उसके बयानों के अनुसार वह स्वयं आवेदक के साथ होटल में गई थी तथा होटल के एक कर्मचारी ने अपने बयान में कहा है कि कथित तिथि को आवेदक एवं पीड़िता होटल में आये और उन्होंने एक कक्ष बुक किया, इससे परिलक्षित होता है कि पीड़िता सहमति वाली पक्षकार थी। पुनः यह भी कहा गया कि जैसा आरोप लगाया गया है, विवेचना के दौरान कोई आपत्तिजनक वीडियो बरामद नहीं हुआ। आवेदक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की मिथ्यता प्रदर्शित करने हेतु अनेक अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया जो अधिवक्ता के अनुसार अभियुक्त के मिथ्या फंसाव का कारण बनीं। आवेदक की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध करायेगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अधिरोपित करेगी। आवेदक निर्दोष है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं वह इस प्रकरण में दि० 03.12.2024 से कारागार में निरुद्ध है, इसलिए आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाय।

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी भी अनुग्रह का पात्र नहीं है, इसलिए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं परिस्थितियों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. अतः वाद के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए हुए आवेदक गोल्डी कुमार को मु.अ.सं० 602/2025, अन्तर्गत धारा 64(1), 351(3), 123 बी.एन.एस., थाना- टी.पी. नगर, जिला- मेरठ में संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ दिया जाय।

- i) आवेदक विवेचना या परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों व पीड़िता/शिकायतकर्ता को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद ऐसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए आवेदक अभियुक्त है अथवा जिसके किये जाने का उस पर संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से विरत रहना पड़े अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो।
6. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत नियमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

दिनांक : 18 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”